

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

संवेदक Dharmendra Singh को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद के अधीन नवीनगर प्रखंड अंतर्गत पंचायत बेलाई ग्राम-बसडीहा (महादलित टोला) में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण कार्य (एकरारनामा संख्या-86/F2/2022-23) आवंटित किया गया। एकरारनामा की तिथि 21.02.2023 है।

संवेदक द्वारा उक्त निर्माण कार्य एक वर्ष बीतने के उपरांत भी अपूर्ण रखा गया। कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा कई स्मार पत्रों के माध्यम से स्मारित करने के बावजूद संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया। तदोपरांत मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, का पत्रांक 1321 दिनांक 12.03.2025 द्वारा संवेदक को कालीसूची में सम्मिलित किये जाने हेतु अनुशंसा की गई।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 1218 दिनांक 03.04.2025, पत्रांक 5605 दिनांक 27.05.2025 एवं पत्रांक 5839 दिनांक 05.06.2025 द्वारा निबंधित डाक एवं ईमेल के माध्यम से संवेदक श्री Dharmendra Singh से कारण पृच्छा की गई। कारण पृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा अबतक अपना पक्ष समर्पित नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि संवेदक को आरोप के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद का पत्रांक 562 दिनांक 14.03.2026 द्वारा प्रश्नगत कार्य के संबंध में बताया गया है कि संवेदक द्वारा उक्त निर्माण कार्य अबतक पूर्ण नहीं कराया गया है।


उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक Dharmendra Singh (Regd. No.-3190909, PAN-FQSPS1909H) At-Anand Bihar Colony, PO+PS-Rampur, Pin-823001 द्वारा स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद के अधीन नवीनगर प्रखंड अंतर्गत पंचायत बेलाई ग्राम-बसडीहा(महादलित टोला) में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं करने संबंधी आरोपों के आलोक में बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) में विहित प्रावधान के आलोक में 03(तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।


(जय किशोर ठाकुर)


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-08/2025 3710 /पटना, दिनांक:- 24.3.26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख


ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-08/2025 3710 /पटना, दिनांक:- 24.3.26
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी
मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख 23.03.26


ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-08/2025 3710 /पटना, दिनांक:- 24.3.26
प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय
क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख 23.03.26

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-08/2025 3710 /पटना, दिनांक:- 24.3.26
प्रतिलिपि:-Dharmendra Singh (Regd. No.-3190909, PAN-FQSPS1909H) At-
Anand Bihar Colony, PO+PS-Rampur, Pin-823001 को सूचनार्थ प्रेषित।


अभियंता प्रमुख 23.03.26

ज्ञापांक:- ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-08/2025 3710 /पटना, दिनांक:- 24.3.26
प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख 23.03.26
६०

निबंधित